<u>न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी–खीरी।</u>

CNR No.–UPLP 1200 1641 2026
प्रकीर्ण फौजदारी सं०–102/2026
कंप्यूटर पंजीकरण सं०–121/2026
थाना–पसगवां, जिला–खीरी।

संजय प्रताप पुत्र बाबूराम उम्र 50 वर्ष लगभग निवासी ग्राम गलरई पोस्ट बरबर तहसील मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी।

... ...प्रार्थी/वादी।

बनाम

1– पिन्टू उर्फ देवेन्द्र कुमार पुत्र आत्माराम उम्र 35 वर्ष,
2– रिंकू व जितेन्द्र कुमार पुत्र आत्माराम उम्र 32 वर्ष,
3– रोहित कुमार पुत्र स्व० अवधेश कुमार उम्र 35 वर्ष,
4– कलजीत पुत्र स्व० अवधेश कुमार उम्र 36 वर्ष,
5– रिशू व रिसाल पुत्र स्व० अवधेश कुमार उम्र 32 वर्ष,
6– सावित्री देवी पत्नी आत्माराम उम्र 50 वर्ष,
7– सुधा देवी पत्नी अवधेश उम्र 52 वर्ष,
समस्त निवासीगण ग्राम कोयलाजार पोस्ट बढ़बारी मांग थाना पसगवां तहसील मोहम्मदी खीरी।

... ...विपक्षीगण/प्रतिवादीगण।

<u>दिनांकः 03.07.2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली आज प्रार्थी के प्रार्थनापत्र दिनांकित 01.06.2026 अन्तर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस आदेश हेतु नियत है। प्रार्थी को जरिए विद्वान अधिवक्ता पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया गया है कि प्रार्थी का एक किता खेत जिसकी गाटा सं०–32 रकबा 0.706 हे० है जो कि प्रार्थी की पत्नी के नाम दर्ज कागजात है। उक्त खेत से सम्बन्धित एक दी०वा०सं०–44/20 माननीय न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) मोहम्मदी खीरी में विचाराधीन है। घटना दिनांक 29.04.2025 को समय लगभग 08:00 बजे सुबह अपने खेत की जुताई कर रहा था तभी प्रार्थी के विपक्षीगण पिन्टू उर्फ देवेन्द्र कुमार पुत्र आत्माराम, रिंकू व जितेन्द्र कुमार पुत्र आत्माराम, रोहित व सावित्री देवी एवं सुधा देवी आदि व्यक्ति प्रार्थी के खेत में लाठी डंडों से लैस होकर प्रार्थी के खेत में घुस आये, काफी गाली गलौज करने लगे और मारने पीटने का भी प्रयास किया एवं जान से मारने की भी धमकी दी तब प्रार्थी चुपचाप अपनी जान बचाकर भाग आया और अपने निवास गलरई जा रहा था तभी रास्ते में लगभग 09:30 बजे सुबह रोहित व कलजीत पुत्रगण अवधेश कुमार निवासी ग्राम कोयलाजार ने प्रार्थी को जबरन रोक लिया एवं दोनों लोगों ने प्रार्थी को कई थप्पड़ मारे एवं प्रार्थी का मोबाइल और जेब में रखे मु० 7500/–रु० भी छीन लिये प्रार्थी ने इसकी सूचना मुख्यमंत्री हेल्प लाइन नम्बर पर भी दी है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कार्यवाही न होने पर दबंगों के हौसले बढ़ते गये और दिनांक 30.05.2026 को विपक्षीगण रिंकू व जितेन्द्र कुमार पुत्रगण आत्माराम, कलजीत व रोहित पुत्र अवधेश कुमार एवं रिशू व रिसाल आदि ने प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित खेत पर बोई गयी बाजरे की फसल में किसी केमिकल का जानबूझकर क्षति करने के आशय से स्प्रे कर दिया जिसके कारण उक्त बाजरे की फसल पूरी तरह नष्ट हो गयी है जिसकी आनलाइन शिकायत पत्नी अंजू देवी द्वारा दिनांक 31.05.2026 को की गयी है। उपरोक्त वर्णित लोग काफी हेकड़ व दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं उक्त घटना की सूचना थाना पसगवां में भी की गयी तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक खीरी को डाक से लिखित शिकायत भेजी गयी, परन्तु किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी प्रार्थी मजबूर होकर न्यायालय की शरण में आया है। अतः प्रभारी निरीक्षक थाना पसगवां को

आदेशित करने की कृपा करें कि प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जाए।

प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र, पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी व प्रभारी निरीक्षक थाना पसगवां को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रतियां, आधार कार्ड की छायाप्रति, **जनसुवाई पोर्टल पर आनलाइन शिकायत की छायाप्रति** एवं उच्चाधिकारियों को प्रेषित रजिस्टर्ड डाक रसीदें प्रस्तुत की गयी हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

थाना पसगवां की आख्या दिनांकित 10.06.2026 के अनुसार उपरोक्त प्रार्थनापत्र के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में जिन तथ्यों को वर्णित किया गया है, उन समस्त तथ्यों से प्रार्थी भली–भांति परिचित है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि इस प्रकरण की जांच न्यायालय द्वारा स्वयं की जाये। आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त मामले की धारा 225 बी०एन०एस०एस० के तहत विवेचना कराई जा सकती है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णयन सम्मानित विधि व्यवस्था **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (57) ए०सी०सी० 739** एवं **रामबाबू गुप्ता व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य 2001 (43) ए०सी०सी० पेज 50** में दिए गए दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत कर न्यायालय द्वारा जांच किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175(3) बी०एन०एस०एस०, परिवाद के रुप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली दिनांक–21.08.2026 को वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 बी०एन०एस०एस० हेतु पेश हो।

दिनांकः 03.07.2026

(रजत प्रकाश सोन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।